श्यकताएं इस समय आयात की जा रही हैं क्योंकि देश में पाये जाने वाले सभी निक्षेप अभी अन्वेषणावस्था में हैं।

(ख) जी, हां।

रैमिंगटन रेंड टाइपराइटरों का निर्माण

1122. **श्री भोला नाथ मास्टर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रैमिंगटन टाइपराइटरों को बनाने वाली कम्पनी को छोटे टाइपराइटर निर्माण करने के लिए संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए केवल मैसर्स जे० के० बिजनेस मशीन्ज लिमिटेड को अनुमति दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारत के मैसर्स रैमिंगटन रैण्ड ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 12000 पोर्टेबिल टाइपराइटरों के निर्माण की क्षमता के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। कम्पनी का आवेदन सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी रेलवे की यात्री रेलगाड़ी संख्या 161

1123. **श्री भोला नाथ मास्टर** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये बने राज्यों और जिलों को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय का कोई ऐसा नीति निर्णय लेने और उसे तुरन्त क्रियान्वित करने का विचार है, जिससे कि दिन में कम से कम एक रेल गाड़ी जिला मुख्यालय से चले और प्रातः दस बजे राज्य की राजधानी में पहुंचे और शाम को यात्रियों को जिला मुख्यालय तक वापिस ले जाये, जिससे यात्रियों को एक अतिरिक्त दिन के लिये न रुकना पड़े; और

(ख) क्या इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था करने के विचार से पश्चिम रेलवे की तेज चलने वाली यात्री गाड़ी संख्या 161 की समय सारिणी इस प्रकार बनाने का विचार है जिससे अलवर शहर के यात्री ले जाने वाली यह रेलगाड़ी रिवाड़ी से चले और 12 बजे से पहले जयपुर पहुँच जाये और शाम को 5 बजे जिला मुख्यालय के लिये चल पड़े ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) परिचालन की दृष्टि से यह संभव नहीं है कि प्रत्येक जिला प्रधान कार्यालय को राज्य की राजधानी के साथ सुझाये गये तरीके के अनुसार जोड़ा जाये। फिर भी राज्य की राजधानी में आने-जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को समय-सारिणी बनाते समय ध्यान में रखा जाता है और बहुत से जिला नगरों के लिए इस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गयी है।

(ख) 161 अप/162 डाउन सवारी गाड़ियों को जयपुर तक आने-जाने के लिए बढ़ाना और सुझाव के अनुसार इनका समय फिर से निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों के समय में कोई बड़ा परिवर्तन करने से रिवाड़ी-अलवर खण्ड से अदालत और सरकारी कार्यालयों आदि के लिए अलवर जाने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होगी। 161 अप और 4 बी०आर०आर० रतन गढ़-रिवाड़ी